



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1000/2026

रोहित

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: कासिम खान, शम्स उज़ ज़मान

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक रोहित की ओर से दायर की गई है, जिसमें धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता, 2023, अपराध संख्या 370/2025 थाना खेकड़ा, जिला बागपत में जमानत बढ़ाने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 24.11.2025 से कारावास में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त प्रवेश उर्फ कल्लू और धर्मी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने क्रमशः 12.12.2025 और 16.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42744/2025 और 42836/2025 में जमानत पर रिहा कर दिया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक, रोहित को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

16 जनवरी, 2026

मिनि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।